प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2017

विषय :- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय के क्रम में सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं/ राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वशासी संस्थाओं के दिनांक 01-01-2016 के उपरान्त के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियां राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के अनन्तर, दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में शासनादेश संख्या-38/2016-सा-3-921/दस-2016-308/ 2016 दिनांक 23.12.2016 तथा दिनांक 01-01-2016 एवं उसके उपरान्त के राज्य सरकार के पेंशनरों की पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों के संबंध में शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016, दिनांक 23.12.2016 निर्गत किया जा चुका है।

2- राज्य सरकार द्वारा सहायतित शिक्षण/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों के पुनरीक्षण के संबंध में उ0प्र0 वेतन समिति (2016) द्वारा यह संस्तुति की गयी कि सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये पेंशन तथा अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता की व्यवस्था में राजकीय कर्मचारियों से कतिपय भिन्नतायें है, अत: इन संस्थाओं के कर्मचारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों में वर्तमान व्यवस्थानुसार भिन्नता बनाये रखते हुये पेंशन पुनरीक्षण संबंधी आदेश निर्गत किये जाये। इसी प्रकार की संस्तुति राज्य सरकार द्वारा

--2--

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वित्त पोषित स्वशासी संस्थाओं के संबंध में की गयी। समिति की उपर्युक्त संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया जा चुका है।

3- उपर्युक्त के क्रम में विभिन्न प्रशासकीय विभागों से यह अपेक्षित है कि उनके नियंत्रणाधीन सहायता प्राप्त शिक्षण/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं एवं/अथवा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वशासी संस्थाओं जहॉ पेंशन योजना लागू है, के दिनांक 01-01-2016 के उपरान्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानैवृत्तिक लाभों का पुनरीक्षण, वर्तमान भिन्नता को बनाये रखते हुए, जैसा इस आदेश के प्रस्तर-2 में उल्लिखित है, किये जाने हेतु प्रस्ताव, शासनादेश के आलेख सहित संबंधित वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभागों को अविलम्ब प्रेषित किये जायें। प्रस्तावों का परीक्षण वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभागों द्वारा वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 एवं वित्त (सामान्य)अनुभाग-3 से करा लिया जायेंगा।

4- राज्य सरकार द्वारा अनुदानित शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं के दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के ऐसे सभी पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों जिन्हें राज्य सरकार के पेंशनरों को अनुमन्य दरों पर पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2-2016/सा-3-86/दस-2017-308/2016, दिनांक 20-02-2017 द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत किया जा चुका है।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव ।

संख्या-8/2017-सा-3-125(1)/दस-2017, तद्दिनांक

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
2- निजी सचिव, सचिव, वित्त (श्री अजय अग्रवाल, श्री मुकेश मित्तल)
3- समस्त विशेष सचिव, वित्त को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कृपया अपने स्तर पर परीक्षण कर लें। वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 / वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 का आवश्यकतानुसार परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in